भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 472
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

कानूनी सहायता

472. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :

डॉ. सुजय विखे पाटील :

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्री हेमन्त पाटिल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा वकीलों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) देश में सरकार द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे वकीलों की वर्तमान में संख्या कितनी है ;

(ग) क्या ऐसे सरकारी वकीलों के पद खाली हैं अथवा और अधिक संख्या में वकीलों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सभी को न्याय के दृष्टिगत, सरकार का प्रत्येक जिले अथवा तहसील में निःशुल्क कानूनी सलाह केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 जनसंख्या के पात्र वर्गों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु पैनल वकीलों को पैनल में रखने हेतु मानदंड और प्रक्रिया का उपबंध करता है । पैनल वकीलों का चयन महान्यायवादी (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला न्यायवादी या सरकारी प्लीडर (जिला और तालुका स्तर के लिए) और संस्था के मानीटरिंग और सलाहकारी समिति के परामर्श से विधिक सेवा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है।

(ख) : ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसी सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण देश में राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा संस्थाओं में कुल 56,402 वकीलों को पैनल में रखा गया है।

(ग) : पैनल वकीलों को कार्यभार के आधार पर विधिक सेवा संस्थानों द्वारा पैनल में रखा जाता है। इस समय, पैनल वकीलों की अपेक्षित संख्या विधिक सेवा संस्थानों में उपलब्ध है।

(घ) और (ड.) : विधिक सेवा संस्थाओं की स्थापना विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क विधि सेवा उपलब्ध कराने के लिए तालुका न्यायालय से उच्चतम न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन की गई है । विधिक सेवा संस्थाएं, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, सभी उच्च न्यायालयों में 36 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियां, 665 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और 2288 तालुका विधिक सेवा समितियां स्थापित की गई हैं।

लगभग 23,000 विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना कारागारों, न्यायालयों, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबीएस), सामुदायिक केंद्रों, गांव / ग्रामीण क्षेत्रों और विधि महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में की गई है। इन केंद्रों में नि:शुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 521
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

चेन्नई में उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ

521. श्री ए.के.पी. चिनराज :

श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिणी राज्यों के लोगों की सुविधा के लिए और मुकदमों पर समय और धन की बचत के लिए चेन्नई, तमिलनाडु में उच्चतम न्यायालय की शाखा/खंडपीठ खोलने के लिए अधिवक्ता संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन अनुरोधों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए विभिन्न प्रदेशों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । विधि आयोग ने, अपनी 229 वीं रिपोर्ट में भी सुझाव दिया था कि एक संवैधानिक न्यायपीठ दिल्ली में स्थापित की जाए और चार कैसेशन न्यायपीठें उत्तरी क्षेत्र के लिए दिल्ली में, दक्षिणी क्षेत्र के लिए चैन्नई/ हैदराबाद में, पूर्वी क्षेत्र के लिए कोलकाता में और पश्चिमी क्षेत्र के लिए मुम्बई में स्थापित की जाएं । दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की पृथक न्यायपीठ के विचार को भारत के उच्चतम न्यायालय का समर्थन नहीं मिला है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 561
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

सरकार की सम्मिलितता वाले न्यायिक मामले

+561. श्री विजय कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायालय से उन मामलों को निपटाने के लिए कोई अनुकल्पी प्रणाली कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है जिनमें सरकार भी एक पक्षकार है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की संख्या का आकलन किया है जिनमें सरकार भी एक पक्षकार है ;

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में ऐसे कितने मामले लंबित हैं ; और

(घ) कुल लंबित मामलों में से उक्त मामलों का प्रतिशत कितना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : सरकार न केवल ऐसे मामलों में जहां सरकार एक पक्षकार है बल्कि निजी पक्षकारों के बीच भी न्यायालय से बाहर मामलों का निपटान करने हेतु अनुकल्पी प्रणाली का संवर्धन करने के लिए अग्रणी रही है। अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए विधिक ढाचा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के अधीन प्रदान किया गया है । इसके अतिरिक्त, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एडीआर को सहारा देने के लिए कुछ नाम जैसे कंपनी अधिनियम, 2013, वाणिज्यक न्यायालय अधिनियम, 2015, भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 है । विधि के अधीन प्रदान किए गए एडीआर तंत्र में, पक्षकार न्यायालयों के बाहर अपने विवाद का समाधान कर सकते है।

जहां तक वाणिज्यिक विवादों का संबंध है, जहां दोनो पक्ष सरकार/विभाग है या जहां एक पक्ष सरकार/विभाग है और अन्य इसके साधन (सीपीएसआई/ बोर्ड/प्राधिकरण, आदि) हैं, विधि कार्य विभाग में एक दिशानिर्देश अर्थात् "विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र" (एएमआरडी) जारी किया है। एएमआरडी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/ विभागों के बीच और अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (औ.)/अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों/ उनके प्रशासनिक पर्यवेक्षण/नियंत्रण के अधीन स्वायत्त और कानूनी निकाय के बीच कराधान से भिन्न किसी भी/सभी विवादों पर लागू होता है।

(ख) : विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग सिस्टम (लिम्ब्स) पाठ.2 एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। यह न्यायालय मामलों की निगरानी के लिए एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है जिसमें भारत संघ एक पक्षकार है। तथापि, लिम्ब्स पाठ.2 के रुप को हाल ही में विकसित किया गया है और वर्तमान में अद्यतन के अधीन है, यह देखा गया है कि 14.09.2020 तक भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 4.71 लाख मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

(ग) : आज की तारीख के अनुसार, लिम्ब्स पाठ.2 में उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा दर्ज मामलों, अधीनस्थ न्यायालयों 89202 मामले लंबित हैं और उच्चतम न्यायालयों में 15431 मामले लंबित है।

(घ) : लिम्ब्स पाठ.2 में उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभाग द्वारा अब तक दर्ज किए गए आकड़ों के अनुसार, अधीनस्थ न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की संख्य का प्रतिशत 22.22 % है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 621
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

महिला न्यायाधीश

+621. श्री नारणभाई काछड़िया :
श्रीमती गीताबेन वी. राठवा :
श्री जसवंत सिंह सुमनभाई भाभोर :
श्री जॉन बर्ला :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री पिनाकी मिश्रा :
श्री शान्तनु ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) वर्तमान में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला- स्तर के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत महिलाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;
(ख) संघ सरकार द्वारा स्थापित न्यायाधिकरणों में नियुक्त महिला न्यायाधीशों की अधिकरण-वार संख्या कितनी है ;
(ग) अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्त महिला न्यायाधीशों की जिले-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण लागू करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : तारीख 01.09.2020 तक उच्चतम न्यायालय में 2 महिला न्यायाधीश और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 78 महिला न्यायाधीश हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों की पद संख्या और महिला न्यायाधीशों की संख्या के ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबद्ध है ।

(ख) : अभिकरणों में महिला न्यायाधीशों के ब्यौरे केन्द्रीय रुप से नहीं रखे जाते है चूंकि वे सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित हो रहे है।

(ग) : अधीनस्थ न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों पर सूचना भी केन्द्रीय रुप से नहीं रखी जाती है चूंकि विषय-वस्तु उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है ।

(घ) और (ङ) : उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है । ये अनुच्छेद महिला सहित व्यक्ति की किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से

अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए।

****

उपाबंध

महिला न्यायाधीश के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 621 जिसका उत्तर तारीख 16.09.2020 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

(तारीख 01.09.2020 तक)

क्र.सं.	**न्यायालयों का नाम**	**न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या**	**कार्यरत महिला न्यायाधीशों की संख्या**
क	उच्चतम न्यायालय	34	02
ख	उच्च न्यायालय		
1	इलाहाबाद	160	06
2	आंध्र प्रदेश	37	04
3	बंबई	94	08
4	कलकत्ता	72	05
5	छत्तीसगढ़	22	02
6	दिल्ली	60	08
7	गुवाहाटी	24	01
8	गुजरात	52	04
9	हिमाचल प्रदेश	13	01
10	संघ-राज्यक्षेत्र जम्मू -कश्मीर और संघ-राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए उभयनिष्ट उच्च न्यायालय	17	01
11	झारखंड	25	01
12	कर्नाटक	62	05
13	केरल	47	05
14	मध्य प्रदेश	53	03
15	मद्रास	75	09
16	मणिपुर	05	00
17	मेघालय	04	00
18	ओडिशा	27	02
19	पटना	53	00
20	पंजाब और हरियाणा	85	1 1
21	राजस्थान	50	01
22	सिक्किम	03	01
23	तेलंगाना	24	00
24	त्रिपुरा	04	00
25	उत्तराखंड	1 1	00

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 646
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक पैनल

646. श्री उपेन्द्र सिंह रावत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों• और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा स्थापित न्यायिक पैनलों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उपरोक्त में से कितने पैनलों ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है ;

(ग) सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) शेष पैनलों द्वारा किस समय तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की संभावना है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 687
जिसका उत्तर बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक न्यायालय

+687. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में फास्ट ट्रैक न्यायालय चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में ये न्यायालय चल रहे हैं तथा उनके द्वारा किन-किन मामलों का न्यायनिर्णय किया जा रहा है ; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन न्यायालयों द्वारा लिए गए तथा निपटान किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (ग) : त्वरित निपटान न्यायालयों सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना और इनका कामकाज संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तारीख 30 जून, 2020 तक, गुजरात राज्य में कोई भी कार्यात्मक त्वरित निपटान न्यायालय नहीं था।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1672

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय की न्यायपीठें

1672. श्री राजेन्द्र अग्रवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने की योजना बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इन न्यायपीठों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं। क्या औपचारिकताएं पूरी करना आवश्यक है ; और

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पहले ही ऐसी न्यायपीठों की स्थापना की जा चुकी है ?

उत्तर

विधि और न्याहय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और वर्ष 2000 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उस संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जो उच्च न्यायालय और इसकी न्यायपीठ के दिन-प्रतिदिन प्रशासन की देख-रेख करने के लिए प्राधिकृत है, की सहमति के साथ अवसंरचना प्रदान करने और व्यय को पूरा करने की तैयारी को सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक विचार करने के पश्चात की जाती है। प्रस्ताव पर सम्बद्ध राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सहित किसी भी राज्य सरकार से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

उच्च न्यायालयों और उनकी संबंधित न्यायपीठों को दर्शाने वाला एक विवरण **<u>उपाबंध</u>** पर संलग्न है ।

****

<u>उपाबंध</u>

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1672 जिसका उत्तर 21.09.2020 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में राज्य-वार/संघ-राज्य क्षेत्र वार उच्च न्यायालयों और उनकी न्यायपीठों को दर्शाने वाला एक निर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	**उच्च न्यायालय (राज्य)**	**प्रधान पीठ**	**अधिकारिता**	**स्थायी/सर्किट न्यायपीठ और तारीख जब न्यायपीठ ने कार्य करना शुरू किया**
1.	इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	**(1)** लखनऊ **(01.07.1948**
2.	आंध्र प्रदेश (01.01.2019)	अमरावती	आंध्र प्रदेश	-
3.	तेलंगाना	हैदराबाद	तेलंगाना	-
4.	बंबई (महाराष्ट्र)	मुंबई	महाराष्ट्र; गोवा; दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र ; दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र;	**(2)** नागपुर **(01.05.1960),** **(3)** पणजी **(01.07.1948),** **(4)** औरंगाबाद **(27.08.1984)**
5.	कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र	**(5)** राष्ट्रपति आदेश तारीख 7 फरवरी, 2019 के द्वारा **सर्किट न्यायपीठ, जलपाईगुड़ी** **(6) सर्किट न्यायपीठ, पोर्ट ब्लेयर ।**
6.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	-
7.	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)	नई दिल्ली	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	-
8.	गुवाहाटी (असम)	गुवाहाटी	असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	**(7)** कोहिमा **(10.02.1990),** **(8)** आइजोल **(05.07.1990)** , **(9)** ईटानगर **(12.08.2000)**
9.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	-
10.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	-
11.	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू - कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख (जम्मू - कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 09.08.19 के अनुसार) उच्च न्यायालय	जम्मू - श्रीनगर	जम्मू - कश्मीर (संघ राज्यक्षेत्र), लद्दाख (संघ राज्यक्षेत्र)	-
12.	झारखंड	रांची	झारखंड	-
13.	कर्नाटक	बैंगलोर	कर्नाटक	**(10)** धारवाड़ **(24.08.2013)** , **(11)** गुलबर्गा **(31.08.2013)**
14.	केरल	एर्नाकुलम (कोच्चि)	केरल और लक्षद्वीप द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र	-
15.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	**(12)** ग्वालियर **(01.11.1956),** **(13)** इंदौर **(01.11.1956)**

16.	मद्रास (तमिलनाडु)	चेन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी (संघ राज्यक्षेत्र)	**(14)** मदुरै **(24.07.2004)**
17.	ओडिशा	कटक	ओडिशा	-
18.	पटना (बिहार)	पटना	बिहार	-
19.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (संघ राज्यक्षेत्र)	-
20.	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	**(15)** जयपुर **(31.01.1977)**
21.	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	-
22.	उत्तराखंड	नैनीताल	उत्तराखंड	-
23.	मणिपुर	इंफाल	मणिपुर	
24.	मेघालय	शिलांग	मेघालय	
25.	त्रिपुरा	अगरतला	त्रिपुरा	

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1691

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

न्यायिक कार्यवाही

1691. श्री पी.पी. चौधरी :

श्री कौशल किशोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में कोविड-19 के कारण न्यायिक कार्यवाही के चलाए रखने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ;

(ख) क्या न्यायाधीशों ने इस संबंध में कोई विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं ;

(ग) यदि हां, तो न्यायिक प्रक्रिया और अवसंरचना में किए गए सुधारों तथा इस कार्य में हुए व्यय का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने हेतु टेलीविजन प्रसारण चैनल स्थापित करने की योजना बना रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : राष्ट्र-व्यापी लाकडाऊन की घोषणा के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय तथा संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा स्थानीय दशाओं पर निर्भर रहते हुए वर्चुअल या वास्तविक ढंग में सिविल और आपराधिक मामलों की तत्काल सुनवाई के लिए अधीनस्थ न्यायालयों को उनकी प्रशासनिक अधिकारिता के भीतर समय-समय पर निदेश जारी किए गए हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी वीडिओ कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय की सुनवाई के लिए विधिक सुचिता और वैधता प्रदान करने के लिए तारीख 6 अप्रैल, 2020 को एक व्यापक आदेश जारी किया है । अधिकतम उच्च न्यायालयों ने जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों को यह और सलाह दिया है कि जहां कोई कामबंदी/लाकडाउन नहीं है, वे जहां तक संभव हो वर्चुअल/वास्तविक ढंग से सामान्य रूप से पुन: कार्य आरंभ कर सकते है तथा सभी प्रकार के मामलों को देख

सकते है जिसके अंतर्गत जो विचारणाधीन कैदियों से संबंधित है, सिविल मामलों का विचारण, वैवाहिक विवादों से संबंधित मामले, बाल अभिरक्षा संबंधी मामले, साक्ष्य और अन्य पुराने मामलों के अभिलेख भी हैं । जहां कहीं वास्तविक सुनवाई को जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुज्ञा प्रदान की गई है, वहां उन्हें कोविड प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी के संन्नियमों का सख्ती पूर्वक पालन करने तथा सभी सर्तकता का पालन करने की सलाह दी गई है जिसके अंतर्गत पक्षकारों की सहमति भी है । कोविड-19 प्रबंधन के लिए हाल ही में एक नया साफ्टवेयर पैच और न्यायालय प्रयोक्ता मैनुअल को विकसित किया गया है । यह साधन न्यायालय ने अधिक भीड़भाड़ को प्रभावी रूप से देखने के लिए मामलों के सुव्यवस्थित नियोजन मे सहायता करने के लिए विकसित किया गया है ।

(ग) : राज्य सरकारों का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है की वे उच्च न्यायालयों तथा जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के लिए न्यायिक अवसंरचना/न्यायालय कक्ष प्रदान करें । संघ सरकार ने राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढाने के क्रम में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना प्रसुविधाओं के विकास हेतु एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) को क्रियान्वित किया है । स्कीम वर्ष 1993-1994 से क्रियान्वित है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय हाल और न्यायालय परिसर तथा आवासी प्रसुविधा का संनिर्माण होता है । स्कीम के अधीन 7,929.99 करोड़ रु. मंजूर किए जा चुके हैं, जिसमें से पिछले पांच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के दौरान राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 3354.94 करोड़ रु. की रकम मंजूर की गई है । उसके अतिरिक्त अब तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 197.74 करोड़ रु. की रकम जारी की गई है । पिछले पांच वर्ष के दौरान वर्षवार निधियों की मंजूरी निम्नानुसार है :

वित्तीय वर्ष	मंजूर की गई निधियां(रुपए करोड़ में)
2015-16	562.99
2016-17	538.74
2017-18	621.21
2018-19	650.00
2019-20	982.00
कुल	3354.94

सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के लिए संपूर्ण देश में जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को सुकर बनाने के लिए ई-न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है । ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना चरण-2 वर्ष 2015 में अपने क्रियान्वयन के लिए आरंभ की गयी । 16845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कंम्प्यूटरीकृत

करने के लिए सीमांकन लक्ष्य पूरा किया गया है । इस चरण के लिए 1670 करोड़ रुपए के वित्तीय लागत के लिए सरकार ने परियोजना के क्रियान्वयन में अंतर्वलित विभिन्न संगठनों को अब तक 1459.52 करोड़ रुपए की रकम को जारी किया है । इसमें 1042.80 करोड़ रुपए की रकम सभी उच्च न्यायालयों को जारी की गई है जिसमें से 790.04 करोड़ रुपए की रकम का 31 अगस्त, 2020 उपयोग कर लिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में अन्य बातों के साथ उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालय परिसर (12.44 करोड़ रुपए) के लिए ई-सेवा केन्द्र, न्यायालय परिसरों (4.91 करोड़ रुपए) में वी सी केबिन और उसके जोडने के लिए उपस्कर तथा न्यायालय परिसरों (11.86 करोड़ रुपए) में ई-फाईलिंग के लिए सहायता डेस्क कांउटर को सृजित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निधियां जारी की गई हैं ।

(घ) और (ङ) : माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका बड़े पैमाने पर जनता पर प्रभाव रखने वाले सांविधानिक और राष्ट्रीय महत्व के मामलों में उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही के सीधे प्रसारण को अनुज्ञात करने के लिए घोषणा करने और सीधे प्रसारण के लिए आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए तथा ऐसे मामलों के अवधारण के लिए जो सांविधानिक और राष्ट्रीय महत्व के है, मार्गदर्शी सिद्धांत विरचित करने के निदेश की ईप्सा करते हुए फाइल की गई थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2018 का 66-इंदिरा जयसिंह बनाम उच्चतम न्यायालय का महासचिव और अन्य तारीख 26 सितंबर, 2018 के अपने निर्णय के द्वारा अन्य बातों के साथ संप्रेक्षण किया है कि - (i) यह निष्पक्ष न्याय और खुले न्यायालयों के सिद्धांत के अस्तित्व के रूप में सीधा प्रसारण के अभिप्राय का पुन: बल देने के लिए महत्वपूर्ण है ; (ii) सीधा प्रसारण की प्रक्रिया ध्यान पूर्वक संरचनाबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांत के अध्यधीन होनी चाहिए, (iii) आरंभत: एक पाइलट परियोजना केवल ऐसे मामलों जो राष्ट्रीय और सांविधानिक महत्व के है जिसका असंरचना की विद्यमानता के सम्यक अनुक्रम में विस्तार किया जा सकता है, सीधा प्रसारण द्वारा तीन मास के लिए आयोजित की जा सकती है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने न्यायालय की सुनवाई के सीधा प्रसारण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को विरचित करने हेतु पांच न्यायाधिशों की समिति का भी गठन किया है । मार्गदर्शी सिद्धांतों में सभी पहलू आएंगे जिसके अंतर्गत नियोजित की जाने वाली प्रौद्योगिकी, रक्षोपाय और प्रक्रियांए भी हैं ।

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1817

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

विधिक सेवाएं

1817. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री बी. मणिक्कम टैगोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) जिला और अनुमंडल स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकारियों द्वारा वकीलों के पैनल की नियुक्ति संबंधी मानदंड और प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या मजिस्ट्रेट और सत्र अदालतों के लिए विधिक सहायता देने वाले वकीलों को प्रति मामला एक मानक पारिश्रमिक दिया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा नियुक्त समिति ने पैनल के वकीलों के लिए न्यूनतम फीस की सिफारिश की है और यदि हां, तो क्या सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और इसे कार्यान्वित कर रही है ;

(घ) क्या निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने वाले अनेक वकील अपने मुवक्किल से भी फीस ले रहे है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियमन, 2010 पैनल वकीलों के रूप में विधि व्यवसायियों के चयन के लिए मानदंड और

प्रक्रिया का उपबंध करता है । पैनल वकीलों का चयन स्थापित अटर्नी जनरल (उच्चतम न्यायालय के लिए), महाअधिवक्ता (उच्च न्यायालय के लिए), जिला अटर्नी या सरकारी प्लीडर (जिला और तालुक स्तर के लिए) तथा विनियमन 10 के अधीन स्थापित निगरानी और सलाह देने वाली समिति के साथ परामर्श में विधिक सेवा संस्था के कार्यपालक अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा किया जाता है । विधिक सेवा संस्था के कार्यपालक अध्यक्ष या अध्यक्ष पैनल वकील के रूप में किसी विधि व्यवसायी को भी स्वप्रेरणा से पैनलकृत कर सकता है । विनियम, पैनलीकृत होने के लिए विधि व्यवसायी हेतु बार में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव का उपबंध करता है ।

(ख) और (ग) : वकीलों को संदेय फीस प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) द्वारा नियत की जाती है । फीस उस राज्य में वकीलों द्वारा प्रभारित फीस पर निर्भर रहते हुए तथा सरकारी अधिवक्ताओं, विशेष अभियोजक, न्याय-मित्र, आदि को संदेय फीस राज्य से राज्य पर भिन्न होती है । तथापि, नालसा द्वारा नियुक्त की गयी समिति पैनल वकीलों को संदाय की जाने वाली न्यूनतम फीस के लिए अपनी सिफारिश की है जिसे नालसा के केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा तारीख 9 अप्रैल, 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अंगीकृत किया गया था । सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने समान रूप से अंगीकार करने के लिए पूछा था । केन्द्रीय प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम फीस की अनुसूची निम्नानुसार है ।

<u>अधिकारणों सहित सभी स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय</u>

i. मूल प्लीडिंग जैसे वाद, वैवाहिक कार्यवाहियां जैसे विवाह विच्छेद, भरण-पोषण, अभिरक्षा, प्रत्यास्थापन आदि, उत्तराधिकार, प्रोबेट, अपील का मेमो, पुर्नविलोकन, लिखित कथन, उत्तर, प्रतिउत्तर, प्रतिकृति आदि का प्रारूपण - 1200 रुपए ।

ii. सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 800 रुपए के अधीन प्रति आवेदन प्रकीर्ण आवेदन जैसे स्टे, जमानत, निदेश, छूट आदि का प्रारूपण - 400 रुपए ।

iii. अधिकतम 7500/- (प्रति मामला) के अधीन प्रभावी सुनवाई प्रति 750/- रुपए तथा 500 रुपए गैर प्रभावी सुनवाई के लिए हाजिरी ।

<u>उच्च न्यायालय</u>

i. मूल प्लीडिंग जैसे रिट याचिका, प्रति शपथपत्र, अपील का मेमो, पुर्नविलोकन, उत्तर, प्रतिउत्तर, प्रतिकृति आदि का प्रारूपण - 1500 रुपए ।

ii. सभी आवेदनों के लिए अधिकतम 1000 रुपए के अधीन प्रति आवेदन प्रकीर्ण

आवेदन जैसे स्टे, जमानत, निदेश, छूट आदि का प्रारूपण - 500 रुपए ।

iii. अधिकतम 10000/- (प्रति मामला) के अधीन प्रभावी सुनवाई प्रति 1000/- रुपए तथा 750 रुपए गैर प्रभावी सुनवाई के लिए हाजिरी ।

नालसा द्वारा विहित फीस के बराबर/उससे अधिक/उससे कम दी जाने वाली पैनल वकीलों की फीस संबंधी जानकारी से अंर्तविष्ट एक विवरण **उपाबंध-1** पर है ।

(घ) और (ङ) : पैनल के वकील राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 की धारा 8(16) के अनुसार जिस व्यक्ति को उसने कानुनी सेवाएं प्रदान की है, उससे किसी भी रीतिि में कोई भी फीस, पारिश्रमिक या कोई मुल्यवान वस्तु को नहीं प्राप्त करने के लिए कहेंगे या प्राप्त करेंगे । इन विनियमों की धारा 8(17) के अधीन यदि लगे हुए पैनल वकील संतोषप्रद प्रदर्शन नहीं कर रहें हैं या उन्होंने अधिनियम और इन विनियमों के उद्देश्यों और भाव के प्रतिकूल कार्य किया है, विधिक सेवा संस्था उचित कदम उठाएंगी जिसके अंतर्गत ऐसे वकीलों से मामले को वापस लेना और पैनल से उसका निष्कासन करना है ।

****

उपाबंध-1

डॉ। अमोल रामसिंग कोल्हे, डॉ डीएनवी सेंथिलकुमार एस, डॉ सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्रीमती सुप्रिया सुले सांसद सदस्यों द्वारा उठाए गए 21.09.2020 पर उत्तर देने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं। 1817 के उत्तर में विधिक सेवाओं पर यथा विनिर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	2016 नालसा द्वारा विहित फीस के बराबर/उससे अधिक/उससे कम दी जाने वाली पैनल वकीलों की फीस संबंधी जानकारी
1	आंध्र प्रदेश	बराबर
2	अरुणाचल प्रदेश	बराबर
3	असम	बराबर
4	बिहार	बराबर
5	छत्तीसगढ़	बराबर
6	गोवा	बराबर
7	गुजरात	अधिक
8	हरियाणा	बराबर
9	हिमाचल प्रदेश	बराबर
10	जम्मू - कश्मीर	बराबर
1 1	झारखंड	बराबर
12	कर्नाटक	बराबर
13	केरल	अधिक
14	मध्य प्रदेश	बराबर
15	महाराष्ट्र	बराबर
16	मणिपुर	बराबर
17	मेघालय	बराबर
18	मिजोरम	बराबर
19	नागालैंड	बराबर
20	ओडिशा	बराबर
21	पंजाब	अधिक
22	राजस्थान	अधिक
23	सिक्किम	बराबर
24	तमिलनाडु	बराबर
25	तेलंगाना	बराबर
26	त्रिपुरा	बराबर
27	उत्तर प्रदेश	बराबर
28	उत्तराखंड	अधिक
29	पश्चिमी बंगाल	बराबर
30	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	बराबर
31	चंडीगढ़	बराबर
32	दादरा और नागर हवेली	कम
33	दमण और दीव	बराबर
34	दिल्ली	अधिक
35	लक्षद्वीप	कम
36	पुडुचेरी	बराबर

****

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1825

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

ई-न्यायालय

1825. श्री सुधीर गुप्ता :

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

श्री बिद्युत बरन महतो :

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) न्यायालयों में मामलों के बढ़ते भार को समाप्त करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक न्यायालयों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या ई-न्यायालय मामलों के प्रभावी और समयबद्ध निपटान में पूरी तरह समर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) ई-न्यायालयों पर आने वाले संभावित व्यय का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या भारतीय न्यायालयों ने ई-फाइलिंग की विधि को अपना लिया है ;

(ङ) यदि हां, तो अनिवार्य ई-फाइलिंग वाले न्यायालयों का ब्यौरा क्या है ; और

(च) कागज की बर्बादी को कम करने और भारतीय न्यायपालिका में न्यायालयी मामलों के भार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : सरकार, भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से पूरे देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समर्थ बनाने के लिए के ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को कार्यान्वित कर रही है । ई-

न्यायालय मिशन मोड परियोजना **चरण-2** का कार्यान्वयन वर्ष 2015 में प्रारंभ कर दिया गया था। परियोजना के अधीन उपवर्णित लक्ष्य, 16845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण करना है, जो पूरा हो चुका है। इस चरण के लिए 1670 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के विरुद्ध, सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को आज तक 1459.52 करोड़ रुपए (जिसमें 2020-21 में 68.33 करोड़ रुपए भी शामिल है) की राशि जारी की है । इसमें सभी उच्च न्यायालयों को जारी की गई 1077.76 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, जिसमें से 790.04 करोड़ रुपए की राशि का वित्त वर्ष 2020-21 में उपयोग कर लिया गया है । वित्त वर्ष 2020-21 में, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों परिसरों के लिए ई-सेवा केन्द्र, न्यायालय परिसरों में वीसी कैबिन और संयोजन के लिए उपस्कर और न्यायालय परिसरों में ई-फाईल करने लिए सहायता-पटल केन्द्र सृजित करने के लिए सभी उच्च न्यायालयों को निधि जारी कर दी गई है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार 16,845 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । ई-न्यायालय परियोजना **चरण-2** के कार्यान्वयन की उच्च न्यायालय वार स्थिति **उपाबंध-1** पर है ।

(ख) : न्यायालयों में मामलों का निपटान प्रारंभिक रूप से न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से अन्य बातों के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों, सहायक कर्मचारीयों की उपलब्धता, और भौतिक अवसंरचना, अंतग्रस्त तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् जांच अभिकरणों, साक्षियों एवं वादकारियों का सहयोग और नियमों और प्रकियाओं का उचित प्रयोग, सामूहिक मामलों की खोज और सुनवाई भी शामिल है ।

तथापि, 16,845 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और ई-न्यायालय परियोजना **चरण-2,** के अधीन आईसीटी समर्थता के माध्यम से, वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायपालिका को कई सेवाएं प्रदान की गई हैं, जो न्यायिक सेवाओं में शीघ्र प्रदाय को सुकर बनाती है । ई-न्यायालय सेवाएं जैसे कि वाद का रजिस्ट्रीकरण, मामला सूची, मामला स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय वादकारियों और अधिवक्ताओं को ई-न्यायालय वेब पोर्टल, सभी कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों में न्यायिक सेवा केंद्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-मेल सेवा, एसएमएस पुश एवं पुल सेवाओं, और टच स्क्रीन आधारित सूचना स्टॉल के माध्यम

से उपलब्ध है । जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) जिसे परियोजना के अधीन एक आनलाइन मंच के रूप में सृजित किया गया है, जो देश के कम्प्यूटरीकृत जिले और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/निर्णयों से संबंधित जानकारियां प्रदान करता है। वर्तमान में, न्यायिक अधिकारियों सहित सभी पणधारी, इन कम्प्यूटरीकृत न्यायालयों से 13.75 करोड़ से अधिक लंबित और निपटाए गए मामलों की प्रास्थिति तथा संबंधित 12.68 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 संगत जेलों के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा से समर्थ बनाया गया है ।

(ग) : जारी की गई निधियों और ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 पर उच्च न्यायालय द्वारा उपगत व्यय के ब्यौरे **उपाबंध-1** पर उपबंधित हैं ।

(घ) से (च) : ई-न्यायालय परियोजना के अधीन ई-फाइलिंग आवेदन विकसित किया गया है । उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने वर्ष 2018 में एक ई-फाइलिंग प्रणाली रूपांतरण 1.0 अभिकल्पित और तैयार किया है तथा इस प्रयोजन के लिए एक पोर्टल (e-Filing.ecourts.gov.in) सृजित किया है । पोर्टल, विधिक कागजादों के इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को समर्थ बनाता है। ई-फाइलिंग, भारतीय न्यायपालिका में भावी प्रौद्योगिकीय वृद्धि के लिए मुख्य आधार है, रूपांतरण 1.0 उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में पहले ही उपलब्ध है । ई-फाइलिंग आवेदन, जिला न्यायालय सीआईएस 3.2 और उच्च न्यायालय सीआईएस 1.0 सॉफ्टवेयर में समाकलित किया गया है । ई-फाइलिंग के लिए उन्नत रूपांतरण 2.0 भी ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है और वर्तमान में चल रही सुरक्षा लेखा-परीक्षा की अग्रिम प्रक्रम पर है । ई-फाइलिंग सॉफ्टवेयर आवेदन रूपांतरण 2.0 नवीनतम विशेषताओं, जैसे - अधिवक्ता फोर्ट फोलियों, अधिवक्ता लिपिक प्रविष्टि मॉड्यूल कैलेंडर और सामाजिक मीडिया मंचों के साथ समाकलन सहित तैयार किया गया है । प्रारूप मॉडल ई-फाइलिंग में मानक प्रचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किया जाने हेतु उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा विरचित और परिचालित की गई है । तथापि, ई-फाइलिंग को किसी भी न्यायालय में अनिवार्य नहीं बनाया गया है ।

वर्चुअल न्यायालयों की आईटी स्थापन ने पेपर की व्यर्थता को कम करने में तथा न्यायालयों के मामलों के भार को समाप्त करने में सहायता की है । वर्चुनल न्यायालयों को यातायात चालान के मामलों पर विचार करने के लिए तैयार किया गया

है और उन्हें अच्छे-खासे परिणाम प्राप्त हुए हैं । वर्तमान में 6 राज्यों अर्थात् दिल्ली (2), चेन्नई, बंगलूरु, कोच्चि, पूणे में ऐसे 7 न्यायालय हैं । पर्यावरणीय रूप से अनुकूल, वर्चुअल न्यायालय अधिरोपित जुर्मानित ई-संदाय वाली काजगरहित रीति में मामलों को न्याय निर्णयन को समर्थ बनाते हैं । मुकदमेबाज, ई-फाइलिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवाद फाइल कर सकते हैं और वास्तविक रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और न्यायालय फीस या जुर्माने का भी संदाय ऑनलाइन कर सकते हैं । 16 लाख से अधिक मामलों पर इन 7 न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की गई है । न्यायालय मामलों के भार को और कम करने के लिए राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया मामलों तथा लंबित मामलों की संख्या को चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वित व्यष्टिकों का अनुसरण कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अंतर्गत कंप्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमे के संभावित क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, न्यायालय प्रक्रिया, पुनः इंजीनियरी और मामलों के त्वरित निपटान के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना अनुकल्पी विवाद समाधान तंत्र का उपयोग तथा मानव संसाधन विकास पर बल भी है ।

****

उपाबंध-1

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	कम्प्यूटीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या	उच्च न्यायालय द्वारा जारी और उपयोग की गई कुल निधि	
			जारी की गई (करोड़)	उपयोग की गई (करोड़)
1.	इलाहाबाद	2072	99.10	80.96
2.	बोम्बे	2079	118.50	89.14
3.	कलकत्ता	811	33.81	14.84
4.	चंड़ीगढ	357	25.95	20.40
5.	दिल्ली	427	24.49	10.69
6.	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	496	10.12	3.51
7.	गुवाहाटी (असम)		68.94	38.61
8.	गुवाहाटी (मिज़ोरम)		6.85	5.79
9.	गुवाहाटी (नागालैंड)		6.33	5.63
10.	गुजरात	1108	70.13	46.23
11.	हिमाचल प्रदेश	119	9.88	8.30
12.	जम्मू-कश्मीर	218	18.33	16.25
13.	झारखंड	351	22.42	15.74
14.	कर्नाटक	897	62.17	46.41
15.	केरल	486	33.69	28.43
16.	मध्य प्रदेश	1293	69.68	56.56
17.	मद्रास	1032	66.60	56.39
18.	मणीपुर	37	8.37	4.67
19.	मेघालय	39	9.62	6.87
20.	ओडिशा	534	44.25	27.63
21.	पटना	1025	51.65	36.79
22.	पंजाब और हरियाणा	1018	50.66	48.78
23.	राजस्थान	1094	63.98	56.46
24.	सिक्किम	19	6.68	2.89
25.	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	1078	70.82	47.52
26.	त्रिरुपुरा	69	13.65	10.01
27.	उत्तराखंड	186	11.11	4.55
कुल		**16845**	**1077.76**	**790.04**

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1827

जिसका उत्तर सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

+1827. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर :

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री शान्तनु ठाकुर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) देश के उच्च न्यायालयों और निचले न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त लंबित मामलों की संख्या में गुणात्मक कमी की कोई संभावना है, यदि ग्रामीण न्यायालय जो पंचायत स्तर पर स्थापित किए गए हैं और उन्हें सीमित प्रकृति के मामलों की सुनवाई के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार की ऐसे न्यायालय स्थापित करने और उन्हें इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने की संभावना है ; और

(घ) यदि हां, तो इनके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) : देश में उच्च न्यायालयों और अवर न्यायालयों में लंबित मामलों का ब्यौरा क्रमश: **उपाबंध -1** और **उपाबंध -2** पर दिया गया है ।

(ख) : नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया । यह मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उपबंध करता है । राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए उत्तरदायी होती हैं । राज्य

सरकारों/उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, अब तक 12 राज्यों में 395 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान में 225 प्रचालन में हैं । जिला/सत्र न्यायालयों या ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सिविल और दांडिक मामलों को ग्राम न्यायालयों को अंतरित किया जा सकता है ।

(ग) और (घ) : ग्राम न्यायालयों के प्रचालन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर 7 अप्रैल, 2013 को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया था । सम्मेलन में यह विनिश्चय किया गया था कि राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को जहां कहीं भी साध्य हो, स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के प्रश्न पर विनिश्चय करना चाहिए ।

केंद्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया है । ग्राम न्यायालयों की स्थापना और प्रचालन के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए स्कीम के अनुसार, केंद्रीय सरकार प्रति ग्राम न्यायालय अधिकतम 18.00 लाख रुपये की सीमा के अधीन रहते हुए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनावर्ती खर्चों के लिए राज्यों को एकमुश्त सहायता प्रदान करती है । केंद्रीय सरकार प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रति ग्राम न्यायालय अधिकतम 3.20 लाख रुपये की सीमा अधीन रहते हुए ऐसे ग्राम न्यायालयों के प्रचालन के लिए अनावर्ती खर्चों के लिए भी सहायता उपलब्ध कराती है ।

केंद्रीय सरकार ने अपने-अपने राज्यों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है। वर्तमान में, उच्च न्यायालयों के महारजिस्ट्रार और राज्य सरकारों के विधि/गृह/वित्त सचिवों से जनवरी, 2018, जुलाई, 2018, नवंबर, 2018, 24 सितंबर – 03 अक्तूबर, 2019 और 18 मई-22मई, 2020 को आयोजित वीडियों कान्फ्रेंस के माध्यम से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया था और उपर्युक्त उल्लिखित स्कीम के अधीन उनके प्रचालन के लिए वित्तीय सहायता करने के लिए ईप्सा की गई थी ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	**उच्च न्यायालयों के नाम**	**लंबित मामले (सिविल)**	**लंबित मामले (दांड़िक)**	**तारीख 16.09.2020 तक उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या**
1.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	399,710	346,967	746,677
2.	उच्च न्यायालय बंबई	224,685	55,242	279,927
3.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	222,935	40120	263,055
4.	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	40,166	10011	50,177
5.	तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय	198,908	32,852	231,760
6.	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	172,657	30467	203,124
7.	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	45,589	27,984	73,573
8.	दिल्ली उच्च न्यायालय	65,419	25,479	90,898
9.	गुजरात उच्च न्यायालय	95018	47100	142,118
10.	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	61,886	8941	70,827
11.	संघ राज्यक्षेत्र जम्मू-कश्मीर और संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख उच्च न्यायालय	59,510	7946	67456
12.	झारखंड उच्च न्यायालय	40,316	44708	85024
13.	कर्नाटक उच्च न्यायालय	165,645	32,045	197,690
14.	केरल उच्च न्यायालय	162,495	44,616	207,111
15.	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	232,187	143,443	375,630
16.	मणिपुर उच्च न्यायालय	3785	385	4170
17.	मेघालय उच्च न्यायालय	1320	102	1422
18.	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	362,372	244,697	607,069
19.	राजस्थान उच्च न्यायालय	374,582	133,167	507,749
20.	सिक्किम उच्च न्यायालय	194	46	240
21.	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1792	335	2127
22.	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	23,379	14,783	38,162
23.	मद्रास उच्च न्यायालय	511,362	58,920	570,282
24.	उड़ीसा उच्च न्यायालय	115,338	51,136	166,474
25.	पटना उच्च न्यायालय	95,839	74,340	170,179
कुल		**3677089**	**1475832**	**5152921**

उपाबंध-2

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	लंबित मामले (सिविल)	लंबित मामले (दांड़िक)	तारीख 16.09.2020 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों की कुल संख्या
1.	अंदमान और निकोबार दीव	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	319,224	262,137	581,361
3.	तेलंगाना	264,778	358,207	622,985
4.	अरुणाचल प्रदेश	---	---	---
5.	असम	76,157	255,471	331,628
6.	बिहार	413,335	2680851	3094186
7.	चंडीगढ़	19,861	33,722	53583
8.	छत्तीसगढ़	56,979	228,673	285,652
9.	दादरा और नागर हवेली	1547	1783	3330
10.	दमण और दीव	1221	1272	2493
11.	दिल्ली	203,886	702,920	906,806
12.	गोवा	22,639	29,368	52,007
13.	गुजरात	435,216	1259011	1694227
14.	हरियाणा	357,183	639,770	996,953
15.	हिमाचल प्रदेश	136,497	247,306	383,803
16.	जम्मू - कश्मीर	78,436	117,957	196,393
17.	झारखंड	71,785	337,558	409,343
18.	कर्नाटक	813,511	923,496	1737007
19.	केरल	450,469	1111490	1561959
20.	लद्दाख	362	319	681
21.	लक्षद्वीप	---	---	---
22.	मध्य प्रदेश	336,139	1188971	1525110
23.	महाराष्ट्र	1292547	2928871	4221418
24.	मणिपुर	6335	3865	10200
25.	मेघालय	2646	7463	10109
26.	मिजोरम	1915	3533	5448
27.	नागालैंड	138	1207	1345
28.	ओडिशा	272,666	1062942	1335608
29.	पंजाब	321,582	429,618	751,200
30.	राजस्थान	469,267	1269221	1738488
31.	सिक्किम	537	968	1505
32.	तमिलनाडु	653,793	503,881	1157674
33.	पुडूचेरी	---	---	---
34.	त्रिपुरा	8364	26055	34,419
35.	उत्तर प्रदेश	1794177	6392233	8186410
36.	उत्तराखंड	37,856	202,773	240,629
37.	पश्चिमी बंगाल	528,220	1810888	2339108
कुल		**9449268**	**25023800**	**34473068**

टिप्पण : अरुणाचल प्रदेश राज्य और लक्षद्वीप तथा **पुडुचेरी संघ** राज्य क्षेत्रों में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का डेटा एनजेडीजी के वेब-पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है।

****